न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/479

1. हुकम चन्द
2. राधेश्याम पिसरान श्री सीताराम जाति गुर्जर निवासीगण डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
3. देवकन्या बाई पुत्री श्री सीताराम जी जाति गुर्जर ।
4. गोबरी बाई बेवा श्री सीताराम जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामकरण पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री साहब लाल मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 26.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92, 92(ए) एंव 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा में खसरा नम्बर 218 रकबा 0.71 हैक्टर भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में स्वर्गीय सीताराम के खातेदारी में दर्ज थी । उक्त भूमियों के सम्बन्ध में सीताराम ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 02.06.2002 को गवाहों के समक्ष एक लिखावट लिखी थी तभी से प्रार्थी उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वर्ष 2002 के बाद सीताराम व उसके वारिसान कभी भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त

नहीं रहे । सीताराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के मन में बदनियति आ गई है वे वादग्रस्त भूमियों को जबरन ताकत के बल पर हडपना चाहते हैं तथा उक्त भूमियों को अन्य व्यक्तियों को बेचान, रहन करना चाहते हैं जबकि उक्त भूमियों पर पिछले 13 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद जारी की जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 से 4 वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें तथा उक्त भूमियों को अप्रार्थीगण किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान, वसीयत एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त कार्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.08.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 22.08.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है । वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट खातेदार कृषक हैं । अपीलान्ट को अपनी खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर काश्त करने तथा उसका उपभोग उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचित किये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तहरीर मुनाफा काश्त की पेश कर वाद पेश किया है वह मुनाफा केवल मात्र 04 वर्ष के लिए है । मुनाफा काश्त की अवधि 2015 में समाप्त हो चुकी है उसके पश्चात् से वादी को कब्जा बनाये रखने का कोई हक व अधिकार नहीं है । उक्त आराजी के बाबत् अपीलान्टगण के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक होकर खातेदार की हैसियत से उनका नाम दर्ज कर दिया गया है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए लिखावट को बिना पढे ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट को इस आराजी में अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट को सन् 2011 में 04 वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर दी गई थी जो अवधि समाप्त हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तहरीर को पढे बिना आदेश जारी किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की है । अपीलान्ट के पिता ने सन् 2002 को एक तहरीर लिखी थी और कब्जा रेस्पोडेन्ट को संभलाया था । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कभी भी अपीलान्ट का नहीं रहा है । सन् 2011 की जो मुनाफा काश्त की जो तहरीर लिखी गयी है वो कूटरचित है इस पर रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं । चूँकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है इस कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2001 (1) पेज 50, आरआरटी 2002 (2) पेज 901, डीएनजे (राज0) 2002 (1) पेज 450 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामकरण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है और यह कथन किया है कि तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी बाबत् सीताराम ने प्रार्थी के पक्ष में वर्ष 2002 में एक लिखावट लिखी थी प्रार्थी ने सीताराम के इलाज में 20,000/– रूपये लगाये थे एवं कर्ज के 60,000/– रूपये चुकाये थे इस बाबत् प्रार्थी के पक्ष में लिखावट लिखी थी कि मेरे बच्चे उक्त राशि को चुकता नहीं करते हैं तो विवादित भूमियों पर कब्जा प्रार्थी का ही रहेगा । सीताराम की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गई है वो आराजी को हडपना चाहते है जबकि कृषि भूमियों पर कब्जा प्रार्थी का होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

11. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन है किया है कि सन् 2011 में मुनाफा पर प्रार्थी को भूमि दी थी । प्रार्थी ने जो तहरीर पेश की है वह फर्जी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । अप्रार्थीगण ने एक तहरीर की फोटो प्रति भी पेश की है ।

12. अपील में रेस्पोडेन्ट की ओर से फर्द के साथ ग्राम पंचायत नोनेरा के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति तथा रसीद कडता संलग्न की हैं ।

13. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है । रेस्पोडेन्ट ने एक तहरीर जो कि अपंजीकृत है और पूर्ण मुद्रांकित नहीं है के आधार पर वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा का दावा पेश किश है । ऐसी तहरीर जो कि न तो पंजीकृत है और न ही पूर्ण मुद्रांकित है उसके आधार पर राजस्व न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी इस तहरीर के आधार पर स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा सिविल न्यायालय में कर सकते हैं । राजस्व न्यायालय में उनका दावा तहरीर के आधार पर मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार इस दावे के साथ पेश किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि की है ।

14. विद्धान् रेस्पोडेन्ट ने नजीर आरआरटी 2002 (2) पेज 901 माननीय उच्च न्यायालय की उद्धरत की उसके अन्तर्गत स्पेसिफिक परफोरमेन्स के दावे में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की गई है परन्तु इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया है वरन् राजस्व न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश किया है । इस कारण यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है । इसी प्रकार डीएनजे (राज0) 2002 (1) पेज 450 भी इस प्रकार पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि इस प्रकरण में भी दावा स्पेसिफिक परफोरमेन्स का पेश किया है और रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा पेश नहीं किया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि– विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2016 खारिज किया जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा